देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

दिनांक : 25/7/17

अधिसूचना संख्या 497 /भू अ0

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—**बड़ामिरखी, थाना—मधुपुर**, **थाना सं०—300, अंचल:— देवीपुर, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर—मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम—**बड़ामिरखी, थाना—मधुपुर, थाना सं०—300,अंचल—देवीपुर**, **जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **1.90 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	2	रैयती	बाड़ी—2	0.06	टुडी मराण्डी वो रवि मराण्डी पे0 स्व0 रामचरण मराण्डी	दाग नं0—301	दाग नं0—1	सड़क	दाग नं0—1
2	3	3	रैयती	बाड़ी—2	0.15	तथैव				
3	12	6	रैयती	बाड़ी—2	0.19	कामदेव पाण्डेय वो मुरलीधर पाण्डेय वो शंभू पाण्डेय पे0 स्व0 आशो पाण्डेय वो सुभद्रा देवी पे0 स्व0 भागु पांण्डेय वो श्रीकान्त पाण्डेय वो उमाकान्त पाण्डेय वो लक्ष्मीकान्त पाण्डेय वो प्रदीप पाण्डेय वो फालो पाण्डेय पे0 स्व0 सहदेव पाण्डेय।				
4	12	1	रैयती	बाड़ी—2	0.25	तथैव				
5	14	57	रैयती	बाड़ी—2	0.32	बलराम पाण्डेय वो प्रमोद पाण्डेय पे0 स्व0 दुखी पाण्डेय वो मनोहर पाण्डेय वो महन्त पाण्डेय पे0 स्व0 हुवी पाण्डेय वो सुरेन्द्र पाण्डेय वो नरेश पाण्डेय वो श्याम सुन्दर पाण्डेय वो राजेन्द्र पाण्डेय वो ललिन पाण्डेय पे0 स्व0 सुकदेव पाण्डेय वो कृष्णानन्द पाण्डेय वो सुबल पाण्डेय पे0 स्व0 गौरी शंकर पाण्डेय वो प्रदीप पाण्डेय पे0 स्व0 गंगाधर पाण्डेय वो गोपाल पाण्डेय पे0 स्व0 केदार पाण्डेय।				
6	15	64	रैयती	बाड़ी—2	0.04	बाबूलाल मराण्डी वो शालीग्राम मरांडी वो कन्हैया मरांडी पे0 स्व0 किसुन मरांडी वो मितन मरांडी पे0 स्व0 बनेश्वर मरांडी वो दीलीप मरांडी वो संतोष मरांडी वो संजय मरांडी पे0 स्व0 सीताराम मरांडी वो दुखनी देव्या पति स्व0 रघु मरांडी वो ढ़ालो मरांडी वो मनु मरांडी वो भुनेश्वर मरांडी पे0 स्व० शिवलाल मरांडी।				

25-07-2017.

7	19	84	रैयती	बाड़ी--2	0.07	कमल मरांडी पे0 स्व0 बाबू राम मरांडी।				
8	19	91	रैयती	बाड़ी--2	0.095	तथैव				
9	19	92	रैयती	बाड़ी--2	0.06	तथैव				
10	22	7	रैयती	बाड़ी--2	0.18	नागेश्वर पाण्डेय वो सुदामा पाण्डेय वो वचनानन्द पाण्डेय वो ब्रहमानन्द पाण्डेय पे0 स्व0 गणेश पाण्डेय वो जयप्रकाश पाण्डेय वो दिलीप पाण्डेय पे0 स्व0 जयदेव पाण्डेय।				
11	25	87	रैयती	बाड़ी--2	0.15	कारू मरांडी वो तालेश्व मरांडी पे0 स्व0 फूलमणी मरांडी वो दुर्गा मरांडी पे0 स्व0 लिलमणी मरांडी वो चनमणी मरांडी पे0 स्व0 बृहस्पति मरांडी।				
12	25	88	रैयती	बाड़ी--2	0.005	तथैव				
13	36	35	रैयती	बाड़ी--2	0.08	जितेन्द्र मरांडी पे0 स्व0 खुनी मरांडी।				
14	36	67	रैयती	बाड़ी--2	0.04	तथैव				
15	36	68	रैयती	बाड़ी--2	0.09	तथैव				
16	38	63	रैयती	बाड़ी--2	0.015	जनता देवी वो रूकमणी देवी पे0 स्व0 महावीर मरांडी वो टोपलाल मरांडी पे0 स्व0 बलदेव मरांडी वो लाखो मरांडी वो ठाकुर मराण्डी, पे0 स्व0 कुंजो मराण्डी वो भागीरथ मरांडी वो महादेव मरांडी पे0 स्व0 बुधन मरांडी।				
17	38	86	रैयती	बाड़ी--2	0.05	लाखो मरांडी वो ठाकुर मरांडी पे0 कुंजो मरांडी वो भागीरथ मरांडी वो महादेव मरांडी पे0 स्व0 बुधन मरांडी।				
18	38	85	रैयती	बाड़ी--2	0.015	जनता देवी वो रूकमनी देवी पे0 स्व0 महावीर मरांडी वो टोपलाल मरांडी पे0 स्व0 बलदेव मरांडी				
19	38	83	रैयती	बाड़ी--2	0.04	तथैव				
				कुल रकवा--	1.90					

यह अधिसूचना भू--अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम--2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा--11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू--अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता--सह--समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू--वेधन--छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू--अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के

24-07-2017

बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

24/7/17 — जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर — 24-07-2017 — अपर समाहर्त्ता, देवघर

24/7/17
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 497 / भू अ0, देवघर, दिनांक 25/7/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवीपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

24/7/17
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

24/7/17 — जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर — 24-07-2017 — अपर समाहर्त्ता, देवघर